न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 08/2024 G.C.M.S. No. 2024/89 दर्ज दिनांक : 09.02.2024

अपीलार्थिगण:

1. रूगाराम पुत्र नेनारामजी, उम्र बालिग, जाति देवासी
2. भंवरीदेवी पुत्री मंगलारामजी, उम्र बालिग जाति देवासी निवासीगण बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. प्रकाश उर्फ पुखराज पुत्र पुनाजी
2. नारायणलाल पुत्र पुनाजी, जातिगण मेघवाल निवासीगण बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2018 बअनवान प्रकाश वगैरह बनाम रूगाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2018 बअनवान प्रकाश वगैरह बनाम रूगाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् नये रास्ते हेतु प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द, भू—अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा नं. 728, 730, 727, 731 आई हुई हैं, जिसमें आने—जाने हेतु अपीलाण्ट्स के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 729, 729/2 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावें। रेस्पोंडेण्ट्स के प्रार्थना पत्र को रजिस्टर्ड किया गया, अपीलाण्ट्स को सम्मन जारी किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 16.11.2018 को तहसीलदार, रायपुर से विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश जारी किया। तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 02.01.2019 को पक्षकारान की उपस्थित में मौका देखा गया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पेशी दिनांक 11.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। उपरोक्त मौका रिपोर्ट पर रेस्पोंडेण्ट्स

Scanned with OKEN Scanner

ने आपत्ति करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का विरोध किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दूसरी बार तहसीलदार को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेशी दिनांक 07.11.2019 को मौका रिपोर्ट पेश की, फिर भी रेस्पोंडेण्ट्स ने मौका रिपोर्ट पर ऐतराज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार को तहरीर जारी कैर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेशी दिनांक 14.12.2023 को मौका रिपोर्ट पेश की। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा बार–बार मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करते रहें, जबकि प्रथम बार मंगवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2019 तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को सूचित करते हुए, पक्षकारान की उपस्थित में तैयार की गई, जिस अनुसार रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1 व 2 अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 727, 728, 731, 730 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 725 में से कई वर्षों से निर्विवाद रूप से उपयोग कर रहे है, जहां रास्ता वर्तमान में भी चालू है। जिसका उल्लेख मौका फर्द व तहसीलदार रायपुर के पत्र दिनांक 05.01.2019 में स्पष्ट है। तहसीलदार रायपुर आगे से आगे अपने अधिकार ट्रांस्फर करते हुए पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट देखने हेतु कहा, तहसीलदार अपने अधिकार आगे से आगे ट्रांस्फर करते हुए पटवारी हल्का को मौका फर्द बनाने हेतु कानून आदेशित नहीं कर सकते, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बिना अपीलाण्ट्स को सूचित किये, बिना जानकारी दिये दिनांक 22.11.2023 को मौका देखा गया तथा अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में मौका देखते हुए वर्तमान में चालू रास्ते के विपरीत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 729, 729/2 में से रास्ता दिये जाने हेतु अनुशंषा की गई, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिमंशा के विपरीत वर्तमान में रास्ता चालू होते हुए भी, प्रथम मौका रिपोर्ट के विपरीत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से 6 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर का रास्ता दिये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जो अपास्त योग्य है। विधिमंशा अनुसार खातेदार को अधिकतम रास्ता 3 मीटर ही दिया जा सकता है, इससे अधिक रास्ता नहीं दिया जा सकता है, न ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट बनवाने हेतु आगे से आगे हल्का पटवारी को आदेशित कर सकता है। राजस्व मण्डल अजमेर के प्रपत्र अनुसार मौका रिपोर्ट केवल तहसीलदार द्वारा ही तैयार की जाएगी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को ताक में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट्स पूर्णतया प्रभावित व व्यथित है। अपीलाधीन निर्णय की पालना में रेस्पोंडेण्ट्स मौके पर अपीलाण्ट्स के कब्जे काश्ते में दखलंदाजी कर रहे हैं, मौके पर रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत है। जहां से रास्ता दिया है, वहां पर अपीलाण्ट्स के बड़े–बड़े पेड़ लगे हुए हैं। अपीलाण्ट्स का खसरा छोटा है। यदि उसमें से रास्ता

Scanned with OKEN Scanner

दिया जाता है, तो अपीलाण्ट्स की भूमि और अधिक कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय की पालना में मौके से अपीलाण्ट्स को बेदखल कर रास्ता निकाल दिया जाता है, तो अपीलाण्ट्स को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम बिराटिया खुर्द में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 727, 728, 730 व 731 पर आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराने बाबत अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 729/2 व 729 में से रास्ता स्वीकृत किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना एवं जवाब बंद किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. बर की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मौका फर्द तैयार करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार/भू.अ.नि. द्वारा प्रभावित खातेदारान को नोटिस जारी नहीं किए गए, जोकि आज्ञापक है।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायपुर की मौका फर्द एवं नजरी नक्शा दिनांक 02.01.2019 के अनुसार खसरा संख्या 727 तक पहुंच के लिए वर्तमान में खसरा संख्या 725 में से होकर आवागमन के लिए काम में लिया जा रहा है। जो नजरी नक्शा में लाल डॉटेड लाईन से अंकित है। अर्थात प्रार्थीगण को अपनी जोत तक पहुंच के लिए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता व अभाव नहीं हैं। क्योंकि प्रार्थीगण वर्तमान में खसरा संख्या 725 में से आवागमन कर रहे हैं, जबकि धारा 251–क के प्रकरण में महज सुविधा के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं हैं। बल्कि खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए रास्ते की आत्यांतिक

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकता एवं विकल्प के अभाव की स्थिति में ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में दो परस्पर विरोधाभासी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2018 बअनवान प्रकाश वगैरह बनाम रूगाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का नियमानुसार अवसर देते हुए प्रकरण में उभयपक्षकारान को सूचित करते हुए सक्षम अधिकारी से नवीन जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर विधिनुरूप पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर) बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner